प्रेषक

शकील अहमद सिद्दीकी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 17 सितम्बर, 2021**

विषयः **वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-49/बजट/2021-22, दिनांक 27.08.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 3/2021/बी-1-375/दस-2021- 231/2021, दिनांक 22.3.2021 में निहित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष-2021-22 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र सं0-18-3/2021-एम.आई.डी.एच(2), दिनांक 27.04.2021 द्वारा गत वर्ष अवशेष केन्द्रांश धनराशि रु0-1298.91 लाख में 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि रू0-865.94 लाख को सम्मिलित करते हुए लेखाशीर्षक-2401-119-01-0101-राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजनान्तर्गत कुल धनराशि रू0-2164.85 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0-1818.02 लाख (केन्द्रांश रू0-1090.81 लाख एवं राज्यांश रू0-727.21 लाख) (रु0 अट्ठारह करोड़ अट्ठारह लाख दो हजार मात्र) निम्नलिखित विवरण के अनुसार उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अनुदान सं0-10 (धनराशि लाख रुपये में)

लेखाशीर्षक/योजना का नाम	**कोड सं0/मद का नाम**	**आय-व्ययक प्राविधान**	**पूर्व में अवमुक्त धनराशि**	**अवमुक्त की जा रही धनराशि**
2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के.60/रा.40-के.+रा.)	08-कार्यालय व्यय	30.00	0.00	5.00
	15-गाड़ियो का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	135.00	0.00	20.00
	27-सब्सिडी	17447.91	346.83	1709.82
	29-अनुरक्षण	10.00	0.00	5.20
	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	377.63	0.00	40.00
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	40.00	0.00	8.00
	58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	200.00	0.00	30.00
	योग-	**18240.54**	**346.83**	**1818.02**

(रूपये-अट्ठारह करोड़ अट्ठारह लाख दो हजार मात्र)

http://shasanadesh.up.nic.in

1. धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा, जब निदेशक उद्यान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।
2. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति के पूर्व वित्त नियंत्रक, उद्यान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना से आच्छादित पुनर्वैध केन्द्रांश राज्य की समेकित निधि में जमा है।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।
4. निदेशक उद्यान द्वारा कोषागार से धनराशि का अंतरण पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से किया जायेगा।
5. प्रस्ताव में ऑकड़ों की शुद्धता का दायित्व वित्त नियंत्रक, उद्यान का होगा।
6. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह वित्त नियंत्रक, उद्यान का उत्तरदायित्व रहेगा।
7. वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
8. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
9. निदेशक उद्यान द्वारा सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहाॅ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।
10. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
11. कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
12. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021- 231/2021, दिनांक 22.3.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
14. केन्द्रीय योजनाओं को ट्रेजरी के माध्यम से चलाये जाने के निर्णय के फलस्वरूप संदर्भित योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा गत वर्ष संशोधित नवीन पैटर्न के अनुसार केन्द्रांश व राज्यांश के क्रमशः 60: 40 प्रतिशत के अनुपात में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में धनराशि व्यय की जायेगी। अतएव भारत सरकार से कार्ययोजना के अनुमोदन तथा केन्द्रांश की धनराशि की स्वीकृति निर्गत हो जाने की स्थिति में आवश्यकतानुसार आहरण की कार्यवाही की जाय।
15. प्रस्तर-14 में दी गयी शर्त के अनुसार नियमानुसार केन्द्रांश/राज्यांश की धनराशि का व्यय, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय के निर्देशानुसार एवं राज्य सरकार के निहित प्राविधानों के तहत किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021- 231/2021, दिनांक 22.3.2021 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
16. बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/ दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
17. उक्त प्रस्तर में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में कार्यरत जनपदीय अधिकारी/वित्त नियन्त्रक, उद्यान विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियन्त्रक, उद्यान का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन/वित्त विभाग को तत्काल दिया जाय।
18. यदि विभाग द्वारा भारत सरकार/शासन द्वारा निर्धारित शर्तो का विचलन किया जाता है तो उसके लिए मिशन निदेशक उद्यान तथा वित्त नियन्त्रक, उद्यान विभाग एवं सम्बन्धित जनपद के जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान सीधे उत्तरदायी होंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

19.वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. के माध्यम से इलेक्ट्रानिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किए जाने के निर्देश दिए गए है, अतः उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तदनुसार सुनिश्चित किया जाए।

20.इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक ''2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन'' के अन्तर्गत उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-यू0ओ0-ई-1-1042-दस-2021-2022, दिनांक 16 सितम्बर, 2021 में प्राप्त सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

<u>संख्या-50 /2021-1679(1)/58-2021-तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव भारत सरकार कृषि मंत्रालय कृषि एवं सहकारिता विभाग कृषि भवन नई दिल्ली को भारत सरकार के पत्र सं0-18-3/2021-एम.आई.डी.एच.(2), दिनांक 27.04.2021 के संदर्भ में।
2- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- महालेखाकार, लेखा परीक्षक, प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, निदेशालय, लखनऊ।
5- निदेशक, कृषि विभाग, कृषि भवन, लखनऊ।
6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in